ीम के दायरे में अब प्रोफेशनल्स भी शामिल

जीएसटी पेमेंट में देरी : 1 सितंबर से नेट लायबिलिटी पर लगेगा ब्याज

नयी दिल्ली/एजेंसी। सरकार ने कहा है कि वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) के भुगतान में देरी की स्थिति में एक सितंबर से शुद्ध कर देनदारी पर ब्याज लेगा। इस साल की शुरुआत में उद्योग ने जीएसटी भुगतान में देरी पर लगभग 46,000 करोड़ रुपये के बकाया ब्याज की वसूली के निर्देश पर चिंता जताई थी। ब्याज कुल देनदारी पर लगाया गया था।

केंद्र और राज्य के वित्त मंत्रियों वाली जीएसटी परिषद ने मार्च में अपनी 39वीं बैठक में निर्णय लिया था कि एक जुलाई, 2017 से शुद्ध कर देनदारी पर जीएसटी भुगतान में देरी के लिए ब्याज लिया जाएगा और इसके लिए कानून को संशोधित किया जाएगा। हालांकि, केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड (सीबीआईसी) ने 25 अगस्त को अधिसूचित किया कि एक सितंबर 2020 से कुल कर देनदारी पर ब्याज लिया जाएगा। एक बयान में सीबीआईसी ने बाद में स्पष्ट किया कि जीएसटी के देर से भुगतान पर ब्याज के संबंध में जारी अधिसूचना कुछ तकनीकी सीमाओं के कारण भावी प्रभाव के रूप में जारी की गई थी। बयान में कहा गया, ''हालांकि, जीएसटी परिषद की 39वीं बैठक में लिए गए निर्णय के अनुसार यह भरोसा दिया जाता है कि केंद्र और राज्य कर प्रशासन द्वारा बीती अवधि के लिए कोई वसूली नहीं की जाएगी। इससे जीएसटी परिषद के फैसले के अनुरूप करदाताओं को पूरी राहत सुनिश्चित होगी।''

एएमआरजी एंड एसोसिएट्स के सीनियर पार्टनर रजत मोहन ने कहा कि इस लाभ की भावी उपलब्धता का अर्थ है कि करोड़ों करदाताओं से जीएसटी को लागू किए जाने से तीन साल से अधिक अवधि के लिए ब्याज की मांग की जा सकती है। उन्होंने कहा कि ऐसे में अन्यायपुर्ण और गैरकानूनी ब्याज की मांग के आधार पर कारोबारी एक बार फिर अदालत का रुख कर सकते हैं। इनपुट टैक्स क्रेडिट को सकल जीएसटी देनदारी से घटाने पर शुद्ध जीएसटी देनदारी का पता चलता है।

न्यायालय ने कर्ज की स्थगित किस्तों पर ब्याज माफी के बारे में केंद्र से रुख साफ करने को कहा

नयी दिल्ली/पीटीआई। उच्चतम न्यायालय ने बुधवार को कोविड-19 महामारी को देखते हुए कर्ज की किस्तों को स्थगित किए जाने के दौरान ब्याज पर लिए जाने वाले ब्याज को माफ करने के मुद्दे पर केंद्र सरकार की कथित निष्क्रियता को संज्ञान में लिया और निर्देश दिया कि वह एक सप्ताह के भीतर इस बारे में अपना रुख स्पष्ट करे। न्यायमूर्ति अशोक भूषण की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि केंद्र ने इस मुद्दे पर अपना रुख स्पष्ट नहीं किया है, जबकि आपदा प्रबंधन अधिनियम के तहत उसके पास पर्याप्त शक्तियां थीं और वह ''आरबीआई के पीछे छिप रही है।'' इस पर सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने जवाब दाखिल करने के लिए एक सप्ताह का समय मांग, जिसे शीर्ष अदालत ने स्वीकार कर लिया।

राजस्थान आवासन मण्डल
RAJASTHAN HOUSING BOARD
(A State Government Enterprise Constitued Under RHB Act 1970)

क्रमांक आरई/भील/2020-21/286 दिनांक 25-08-2020

-जाहिर आम सूचना-

आवास संख्या 2-डी-8 चन्द्रशेखर आजाद नगर योजना शहर भीलवाड़ा जो मूल आवंटी श्री केशव लाल कोगटा पुत्र श्री सुवालाल जी कोगटा को कल्पतरूयोजना-1988 के अन्तर्गत आवंटित किया गया। आवास का आवंटन पत्र क्रमांक 3507 दिनांक 31.01.2001 के द्वारा जारी किया गया। भौतिक कब्जा पत्र दिनांक 30.04.2001 को सुपुर्द किया गया तथा मकान की समस्त राशि जमा होने के पश्चात पत्र क्रमांक 2357 दिनांक 07.02.2005 के द्वारा अदेय प्रमाण पत्र जारी किया गया। श्री केशव लाल कोगटा पुत्र श्री सुंवालाल जी कोगटा के पक्ष में कार्यालय पत्र क्रमांक 2625 दिनांक 09.03.2005 के माध्यम से आवास के पंजीयन हेतु पंजीयन प्रपत्र जारी किये गये। जिसे आवंटी ने दिनांक 09.03.2005 को उप पंजीयक कार्यालय भीलवाड़ा में पंजीयन करवा लिये थे 7 इस प्रकार हाल रिकार्ड उक्त आवास श्री केशव लाल कोगटा पुत्र श्री सुवालाल जी कोगटा नाम है।

इसके पश्चात उक्त आवास जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 22.03.2005 को श्री केशव लाल कोगटा पुत्र श्री सुवालाल जी कोगटा द्वारा श्री राजेन्द्र कोठारी पुत्र श्री हीरालाल जी कोठारी को बेचान किया गया।

अब अंतिम क्रेता श्री राजेन्द्र कोठारी पुत्र श्री हीरालाल जी कोठारी द्वारा आवास नामान्तरण हेतु शुल्क राशि रू. 5900/- दिनांक 15.07.2020 को जमा करवाकर उक्त आवास से संबंधित विक्रय चैनल प्रस्तुत कर स्वयं के नाम दोहरा पंजीयन उपरांत नाम हस्तांतरण, नामान्तरण करने हेतु प्रार्थनापत्र प्रस्तुत किया हैं जिसकी मण्डल रिकार्ड में प्रतिस्थापन की कार्यवाही विचाराधीन हैं।

अतः उक्त कार्यवाही से किसी भी व्यक्ति को कोई आपत्ति हो तो इस जाहिर आम सूचना की विज्ञप्ति के प्रकाशन के 10 दिवस में अपनी उजरदारी /आपत्ति मय सबूत एवं पहचान के दस्तावेज के साथ इस कार्यालय में प्रस्तुत कर सकते है। बाद मियाद गुजरने पश्चात कोई आपत्ति स्वीकार नहीं होगी, नाम प्रतिस्थापन की अग्रिम कार्यवाही सम्पादित कर दी जावेगी।

आवासीय अभियन्ता-राजस्थान आवासन मण्डल, खण्ड भीलवाड़ा

ांक में गुजरात शीर्ष पर

ई, इसके बाद गोवा और न है। रिपोर्ट में कहा गया है और झारखंड दो भूमि से घिरे निर्यात को बढ़ावा देने के किए हैं। रिपोर्ट के मुताबिक ारखंड जैसी सामाजिक और यों का सामना करने वाले र्यात को बढ़ावा देने के लिए अनुसरण कर सकते हैं। 'इस ण के मौके पर नीति आयोग व कुमार ने कहा कि निर्यात, न का अभिन्न हिस्सा है और तथा विश्व व्यापार में निर्यात की कोशिश करनी होगी। म आने वाले वर्षों में विश्व के हिस्से को दोगुना करने गे।''

नीति आयोग के उपाध्यक्ष ने कहा कि भारत का प्रति व्यक्ति निर्यात 241 अमेरिकी डॉलर है, जबकि यह आंकड़ा दक्षिण कोरिया में 11,900 डॉलर और चीन में 18,000 डॉलर है, इसलिए भारत के निर्यात में बढ़ोतरी की अपार संभावनाएं हैं। कुमार ने कहा कि भारत सरकार ने यह स्पष्ट कर दिया है कि निर्यात को बढ़ावा देने के लिए उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन (पीएलआई) योजनाएं महत्वपूर्ण हैं। नीति आयोग के सीईओ अमिताभ कांत ने कहा कि दीर्घावधि में आर्थिक विकास के लिए निर्यात में तेज वृद्धि बेहद महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि अनुकूल पारिस्थितिकी तंत्र किसी देश को वैश्विक मूल्य श्रृंखलाओं में महत्वपूर्ण योगदान करने और एकीकृत उत्पादन नेटवर्क का लाभ उठाने में समक्ष बनाता है।

श्री कल्याण होल्डिंग्स लिमिटेड

CIN: L67120RJ1993PLC061489

पंजीकृत कार्यालय : बी-19, लाल बहादुर नगर, मालवीय नगर, जयपुर-302017 (राजस्थान),
फोन व फैक्स: 0141-2554270, 0141-4034062, वेबसाईट: www.shrikalyan.co.in, ई-मेल: shrikalyan25@hotmail.com

30 जून 2020 को समाप्त तिमाही के लिए गैर अंकेक्षित वित्तीय परिणामों के विवरणों का सार (रु. लाखों में)

क्र. सं.	विवरण	समाप्त तिमाही 30.06.2020 गैर अंकेक्षित	समाप्त वार्षिक वर्ष 31.03.2020 अंकेक्षित	समाप्त तिमाही 30.06.2019 गैर अंकेक्षित
1.	परिचालनों से कुल आय (शुद्ध)	61.03	263.85	86.50
2.	अवधि का शुद्ध लाभ/(हानि) (कर, असाधारण और/ या असाधारण वस्तुओं से पहले)	2.96	(51.58)	7.21
3.	कर के पहले शुद्ध लाभ/(हानि) (असाधारण और/या असाधारण वस्तुओं के बाद)	2.96	(51.58)	7.21
4.	कर के बाद शुद्ध लाभ/(हानि) (असाधारण और/ या असाधारण वस्तुओं के बाद)	4.74	(34.15)	7.81
5.	अवधि के लिए कुल व्यापक आय [अवधि के लिए लाभ/हानि (कर के बाद) एवं अन्य व्यापक आय (कर के बाद) को शामिल करते हुए]	4.74	(34.15)	7.81
6.	समता अंश पूंजी	997.45	997.45	997.45
7.	रिजर्व (पूर्व लेखा वर्ष के तुलन पत्र के अनुसार पूनर्मूल्यांकन रिजर्व के अतिरिक्त)	-	-	-
8.	आय प्रति शेयर (रु. 10/- प्रति का) रुपये में			
	मूल	0.05	(0.34)	0.08
	तरल	0.05	(0.34)	0.08

टिप्पणी : (अ) उपरोक्त विवरण सेबी (सूचीबद्धता एवं डिस्क्लोजर आवश्यकता) विनियमन, 2015 के विनियमन 33 के अंतर्गत स्टॉक एक्सचेंज के पास दाखिल की गई 30 जून, 2020 को समाप्त तिमाही के गैर अंकेक्षित वित्तीय परिणामों के विस्तृत प्रारूप का सार है। 30 जून 2020 को समाप्त तिमाही के गैर अंकेक्षित वित्तीय परिणामों का संपूर्ण प्रारूप बाम्बे स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाईट www.bseindia.com तथा कम्पनी की वेबसाईट www.shrikalyan.co.in पर उपलब्ध है। (ब) 30 जून, 2020 को समाप्त हुए तिमाही के गैर अंकेक्षित वित्तीय परिणामों की समीक्षा एवं सिफारिश लेखा परीक्षा समिति द्वारा की गई एवं 26 अगस्त, 2020 को आयोजित बैठक में निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित किया गया।

वास्ते श्री कल्याण होल्डिंग्स लिमिटेड
हस्ता./- राजेन्द्र कुमार जैन
अध्यक्ष और पूर्णकालिक निदेशक (DIN:00168151)

स्थान : जयपुर
दिनांक : 26 अगस्त, 2020